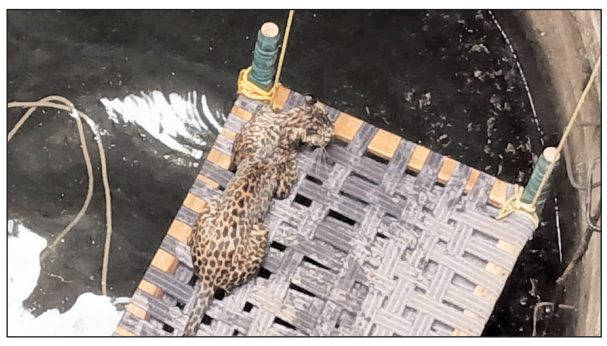

मूंग घोटाला : अपने अधिकारियों को बचा रहा राजस्व विभाग

ठेका में ली गई जमीन वाले लोगों को जांच कमेटी ने बना दिया दोषी, अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्यवाही शून्य

लखनादौन नवभारत। सिवनी जिले में पांच पंजीयन केंदो का चयन किया गया था जिसमें लखनादौन आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भी सम्मिलित थीं सिवनी जिले की तहसील लखनादौन में विगत कुछ माह से मूंग घोटाला का मामला समाचार पत्रों में काफी सुर्खियां बटोर रहा था जिसका खुलासा कुछ दिन पूर्व 6 लोगों पर जांच कमेटी ने जांच कर एफआईआर करने का आदेश दिया गया है जिसमें सिकमीनामा अर्थात ठेका में ली गई जमीन वाले लोगों को जांच कमेटी ने दोषी पाया है जबकि और राजस्व विभाग ने अपने अधिकारियों को बचाने का पूर्ण जोर कोशिश की और पांच लोगों पर एफआईआर करके अपना पला झडते नजर आ रही है।

कैसे होता है रजिस्ट्रेशन एवं खरीदी केंद्र की प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में जिले के विभिन्न विभाग सम्मिलित रहते हैं जैसे जिला आपूर्ति अधिकारी डी आर

घोटाला | अनुच्छेद 14 और 21 का खुला उल्लंघन, क्या लखनादौन पुलिस और प्रशासन ने माफियाओं को संस्थागत संरक्षण दे दिया है

100 करोड़ के मूंग घोटाले पर प्रशासन की अपराधिक चुप्पी!

सिवनी नवभारत। लोकतंत्र में जब रक्षक ही भक्षक की ढाल बन जाएं, तो न्याय की उम्मीद दम तोड़ने लगती है। लखनादौन का मूंग महाघोटाला अब केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार का वह चरम बिंदु है जहाँ संविधान की मूल भावना को ही बंधक बना लिया गया है। 100 करोड़ रुपये की इस सरकारी डकैती में 120 फर्जी नामों का खेल उजागर होने के बावजूद, 138 दिनों की कुंभकर्णी नींद यह सिद्ध करती है कि प्रशासन और अपराधियों के बीच नापाक जुगलबंदी का अभेद्य किला बन चुका है।

114 अपराधियों को अभयदान देने की साजिश?

भारत के संविधान के अनुसार कानून की दृष्टि में सब समान हैं, लेकिन लखनादौन तहसीलदार की कार्यप्रणाली इस सिद्धांत को ठेंगा दिखा रही है। जब शिकायत 120 फर्जी किसानों की है, तो केवल 6 नामों पर जांच को केंद्रित करना संवैधानिक धोखाधड़ी है। यह बाकी 114 भू-माफियाओं और बिचौलियों को क्लीन चिट देने का एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक एग्जिट गेट तैयार करना है। क्या इन 6 नामों का शिगूफा केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए छोड़ा गया है? एसडीएम कार्यालय के आदेश क्रमांक 1781 की 138 दिनों तक अवहेलना करना सीधे तौर पर प्रशासनिक विद्रोह की श्रेणी में आता है। धारा 166 (IPC/BNS) के तहत लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा करना दंडनीय अपराध है, फिर भी लखनादौन के जिम्मेदार अधिकारी जांच फाइल पर कुंडली मारकर बैठे हैं। यह गोल्डन टाइम केवल और केवल अपराधियों को साक्ष्य नष्ट करने और रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के लिए दिया जा रहा है।

पुलिस की भूमिका पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही तत्काल एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। करोड़ों की हेराफेरी, कूट रचित दस्तावेज और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में लखनादौन पुलिस का खड्ढकदर्ज न करना सीधे तौर पर न्यायपालिका के आदेशों की अवमानना है। क्या खाकी का इकबाल अब भू-माफियाओं के तलवों के नीचे दब गया है?

दो-टूक मांग, जनता मांगे हिसाब!

लखनादौन की जनता और किसान संगठन अब मूकदर्शक नहीं रहेंगे। हमारी स्पष्ट मांग है इस है कि केवल 6 नहीं, बल्कि सभी 120 फर्जी लाभार्थियों और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज हो। मामला 100 करोड़ के पार है, अतः इसकी जांच तत्काल आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को सौंपी जाए। भ्रष्टाचार से अर्जित समस्त अवैध संपति को राजसात किया जाए। यदि आगामी समय में प्रशासन अपनी अपराधिक खामोशी नहीं तोड़ता, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि लखनादौन में कानून का राज नहीं, बल्कि माफिया राज स्थापित हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागना और सवालों से बचना इस बात की पुष्टि है कि भ्रष्टाचार की आंच ऊपर तक पहुंच चुकी है।

डिजिटल साक्ष्य और सैटेलाइट की दस्तक

प्रशासन भले ही फाइलें दबा दे, लेकिन रिमोट सेंसिंग डेटा और सैटेलाइट इमेजरी यह गवाही देने को तैयार हैं कि जिन खेतों में करोड़ों की मूंग पैदा होना दिखाया गया, वहां बंजर जमीन धूल उड़ा रही थी। जब आधुनिक तकनीक झूठ पकड़ सकती है, तो प्रशासन की आंखें क्यों बंद हैं?

सी एस डब्ल्यू एलसी नागरिक आपूर्ति विभाग आदि इन सभी विभागों के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं पंजीयन केंद्र बनाए जाने हेतु जिला कमेटी ही निर्णय लेती है कहां कहां खरीदी केंद्र बनाए जाएं फिर इसकी लॉगिन आईडी बनती है जो तहसीलदारो के पास होती है फसल की पंजीयन प्रक्रिया किस प्रकार होती है पंजीयन होने के समय किसानों के मोबाइल में सत्यापन होने के बाद ओटीपी जाती है जो उनसे रजिस्ट्रेशन के समय ली जाती है सारी प्रक्रिया नियम अनुसार होती है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसानों द्वारा जो फसल लगाई जाती है उस फसल कही पंजीयन होता हैं जब किसान मोबाइल एप्स माध्यम से गिरदावली करता है तो सत्यापन तहसीलदार की आईडी से होता है तहसीलदार सत्यापन करने से पहले अपने हल्का पटवारी को निरीक्षण करने के लिए पहुंचना है की इस खसरा नंबर में कौन सी फसल लगी है उसके बाद सही फसल पाने पर गिरदावली का किया जाता हैं और यदि नहीं लगी है तो गिरदावली नहीं किया जाता और यदि पटवारी द्वारा गिरदावली किया जाता है तो पटवारी द्वारा मौके पर जाकर फसल निरीक्षण किया जाता है उसके बाद किसान के बताएं मुताबिक वही फसल की पैदावार की जा रही या नहीं यह देखा जाता है उसके बाद गिरदावली की जाती है जब खेती में मूंग की फसल वोई ही नहीं गई थी तो फिर पटवारी ने कैसे बगैर देखे वहां पर मूंग की फसल की गिरदावली कर दिए कहीं तहसीलदार या पटवारी उस जमीन की गिरदावली में मूंग की फसल की गिरदावली नहीं होता तो किसान कहां से खरीदी केंद्र में मूंग बेचे चला जाता जब किसानों ने मूंग की फसल लगाई ही नहीं थी सन्देह की सुई तहसीलदार और पटवारी की कार्य प्रणाली पर जा खडी होती है यहां पर शुरुआती बड़ी साठ गांठ नजर आती है इस मामले की उच्चस्तरीय सूक्ष्मता से जांच होती है तो तहसीलदार और पटवारी और भी बड़े-बड़े किरदार सामने आएंगे जो अभी छूट गए हैं और सबसे बड़ा सवाल इस बात है की इस मामले पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया जिसमें नायाब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक एवं खाद्य आपूर्ति अधिकारी लखनादौन दो पटवारी एवं एक अन्य सदस्य थे सोचने वाली बात यह है क्या जांच टीम में सम्मिलित राजस्व विभाग ने अपने विभाग की लापरवाही को नजरअंदाज किया और राजस्व विभाग के लापरवाह अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं हुई कार्यवाही जबकि उन पर भी एफआईआर होनी थी लेकिन राजस्व विभाग ने अपने ही अधिकारी को बचाया।

इनका कहना है

गिरदावरी तो हुई है किसान ने एमपी किसान ऐप से किया है जब हमाने उनसे पूछा गया कि सर इसका सत्यापन किसने किया है तो उन्होंने साफ दो टूक में कहा कि मुझे नहीं पता है।

प्रद्युम्न यादव पटवारी
लखनादौन

महाशिवरात्रि पर्व पर धूमधाम से निकलेगी मठ सरकार की बारात

सिवनी नवभारत। आदि शंकराचार्य द्वारा पूजित सिद्धपीठ मठ मंदिर में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर देवाधिदेव महादेव और जगतमाता पार्वती का प्रतीकात्मक विवाह बड़े ही धूमधाम से मनाया जायेगा। महादेव और मां पार्वती के विवाह की तैयारी पूरी हो चुकी है। विवाह के लिए कार्ड भी छप गए है और इन्हें सिवनी शहर के हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इस बात की जानकारी श्री मठ महाकाल समिति सिवनी ने दी है।

श्री मठ महाकाल समिति द्वारा बताया गया कि जिले में जगत पिता शिव और जगतजननी मां पार्वती का प्रतीकात्मक विवाह बिलकुल ऐसे होता है जैसे आपके घर में विवाह समारोह आयोजन होता है। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह 13 को हल्दी रसम, 14 को मेहंदी, संगीत, विवाह की तैयारियां जोरों पर के कार्ड में सभी चीजें बिलकुल वैसी है जैसे कि जब अपने घरों में शादी विवाह के समय कार्ड में अंकित होता है। वर पक्ष, वधु पक्ष, रस्मों की तिथि अंकित की गयी है। देवाधिदेव

13 को हल्दी रश्म, 14 मेंहदी, संगीत विवाह की तैयारिया जोरो पर

महादेव और मां पार्वती के विवाह में वर पक्ष (देवाधिदेव महादेव के रूप में स्वयं महादेव का हृदय स्थाल यानी मह मंदिर समिति और वधु पक्ष की बात करें तो वधू पक्ष (जगतजननी माता पार्वती) के रूप में लक्ष्मी नारायण मंदिर है। विवाह के आयोजन में होने वाली रस्मों पर ध्यान दें की भगवान शिव के विवाह समारोह में हल्दी की रस्म 13 फरवरी को रात्रि 8 बजे से शुरू होगी। इसके बाद 14 फरवरी को मेहंदी एवं संगीत की रस्म रात्रि 08 चजे शुरू होगी। 13 एवं 14 फरवरी को रात्रि 8.30 बजे बगवान बोलेनाथ की भव्य महा आरती होगी। समिति ने बताया कि देवों के देव महादेव का शुभविवाह 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसके लिए विवाह स्थाल माठ मंदिर के बगल में ही खेत में बनाया जा रहा है।

प्राकृतिक हाट बाजार में अधिकारियों ने की खरीदी

परिवारजनो के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने आम लोगों से जैविक उत्पादों के उपयोग की अपील

नव भारत न्यूज

पांढुरना,12 फरवरी प्रति गुरुवार को नगर के शुक्रवारी बाजार में लगने वाले प्राकृतिक हाट बाजार से कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ की अपील पर आम नागरिकों के साथ-साथ आज संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मेघा शर्मा, डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रेक्षा पाठक एवं जनपद पंचायत सीईओ श्रीमती बंदू सूर्यवंशी ने बाजार पहुंचकर जैविक उत्पादों की खरीदी की।

इस अवसर पर जनपद पंचायत सीईओ श्रीमती बंदू सूर्यवंशी ने जैविक खेती के लाभों पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों को रसायन युक्त सब्ज़ियां छोड़कर जैविक पदार्थों का अधिक उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पाद न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हाट बाजार में स्वयं सहायता समूह जय माँ स्वरस्वती द्वारा विभिन्न जैविक उत्पाद बिक्री के लिए लाए गए। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष वंदना कुमरे ने बताया कि जैविक फसलों का आटा घर पर चक्की मे पीसकर लाया गया है, जिसमें ज्वार, बाजरा, गेहूं इत्यादि शामिल हैं।

जिला प्रशासन की आम जनता से अपील है कि अधिक से अधिक जैविक पदार्थों का उपयोग करें तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में अपना योगदान दें।

14 फरवरी को आयोजित होगा कृषि विज्ञान मेला

सिवनी, नवभारत। कृषि विज्ञान मेले का आयोजना शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज ग्राउड सिवनी में शनिवार 14 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। मेले में कृषकों को प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन, फार्मर रजिस्ट्री, ई-विकास प्रणालीएवं कृषक कल्याण वर्ष 2026 अन्तर्गत नवीनतम कृषि तकनीकि और आधुनिक कृषि यंत्रों से संबंधित जानकारी दी जायेगी। कृषि विज्ञान मेले में कृषि वैज्ञानिक परिचर्चा के माध्यम से कृषकों की खेती से संबंधित समस्याओं को त्वरित निराकरण किया जायेगा। मेले में जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार के माध्यम से आगन्तुको के लिये रसायन मुक्त उत्पाद क्रय करने हेतु उपलब्ध रहेगें। कृषि विज्ञान मेले में कृषि विभाग के साथ-साथ अन्य विभाग भी स्टॉल के माध्यम से आगन्तुको को अपने विभाग से संबंधित तकनीकि जानकारी एवं मार्गदर्शन देगें।

भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना-2027 के लिए जिला जनगणना समन्वय समिति का गठन

नव भारत न्यूज

पांढुरना,12 फरवरी.सचिव, गृह मध्यप्रदेश शासन एवं राज्य नोडल अधिकारी जनगणना-2027 के निर्देशों के पालन में जनगणना-2027 के अंतर्गत आवश्यक तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। जनगणना-2027 भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना होगी, जिसे तकनीकी रूप से सशक्त और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं।

जनगणना के समस्त फील्ड कार्य की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (Census Management and Monitoring System - CMMS) नामक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जनगणना कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे कार्यों की प्रगति पर प्रभावी नियंत्रण एवं समन्वय सुनिश्चित हो सकेगा।

जनगणना कार्य के सफल संचालन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ द्वारा जिला स्तर पर जिला जनगणना समन्वय समिति (District Census Co-ordination Committee) का गठन किया गया है। समिति में प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ को अध्यक्ष तथा जिला जनगणना अधिकारी को संयोजक नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी एवं जिला योजना/सांख्यिकी अधिकारी (DPO/DSO) तथा संयुक्त कलेक्टर पांढुर्णा को सदस्य बनाया गया है। इसी प्रकार जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO) एवं सहायक ई-गवर्नेंस मैनेजर, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) तथा जिला जनसंपर्क अधिकारी को समिति का सदस्य नामित किया गया है।

जनगणना-2027 से संबंधित मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग एवं जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी सभी परिपत्रों एवं आदेशों का समयसीमा में अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ समिति के सदस्यों से अपेक्षा की गई है कि वे जनगणना कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन, समन्वय एवं निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाएँ। जिला प्रशासन द्वारा इस ऐतिहासिक डिजिटल जनगणना को सुव्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित की जा रही हैं।

जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए 16 एवं 17 फरवरी को प्रशिक्षण

सिवनी नवभारत। जनगणना 2027 को लेकर अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, अनुविभागीय जनगणना अधिकारी तहसीलदारों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण दिनांक 16 फरवरी 2026 एवं 17 फरवरी 2026 को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक जिला पंचायत सभा कक्ष, सिवनी में प्रशिक्षण श्री संजय सोनी मो. 8591022746, शिवम श्रीवास्तव मो. 9685684153 में आयोजित किया जायेगा। अपर कलेक्टर श्री सी एल चनाप ने निर्देशित किया है कि संबंधित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रशिक्षण स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि जनगणना कार्य सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संपादित किया जा सके।

एक नजर में

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई

बरघाट। 11 फरवरी दिन बुधवार को एकात्म मानववाद के प्रणेता, राष्ट्रवादी विचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, पार्टी के पितृपुरुष पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर के यशवंत सिंह ठाकुर के निवास स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर नमन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सुंदर सिंह ठाकुर, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष श्रीमती मधुबाला जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकुर उपस्थित रहे।

मुंगवानी में निर्माणाधीन सड़क बनी राहगीरों के लिए आफत

सिवनी। नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर अमरवाड़ा मार्ग पर स्थित ग्राम मुंगवानी कलाँ में मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क इन दिनों राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति, गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है।जानकारी के अनुसार उक्त मार्ग के निर्माण का ठेका उदित इंफ्रावर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, रीवा को दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से सड़क में डाली जा रही लोहे की सरिया (रीइन्फोर्समेंट) की मात्रा अत्यंत कम बताई जा रही है, जिससे सड़क की मजबूती और दीर्घकालिक टिकाऊपन पर प्रश्नचिह्न लग गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया तो कुछ ही समय में सड़क जर्जर हो सकती है।वर्तमान स्थिति यह है कि मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं।

टेल क्षेत्र के किसानों ने एसडीएम केवलारी को सौंपा ज्ञापन

नहर में पानी छोड़ने की मांग

केवलारी नवभारत। टेल क्षेत्र के किसानों ने पानी की गंभीर समस्या को लेकर बुधवार को एसडीएम केवलारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की।

किसानों का कहना है कि विगत दिनों ग्राम तिंदुआ में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और कुछ किसानों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद से संबंधित क्षेत्र में नहर का पानी बंद कर दिया गया है, जिससे टेल क्षेत्र के डूंगरिया, चंदनखेड़ा, गुबरिया रायखेड़ा आदि गांवों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से जहां फसलें सूखने की कगार पर हैं, सैकड़ों एकड़ खेत सूखे की स्थिति में पहुंच गए हैं।

किसानों ने बताया कि फसलें सूखने की कगार पर हैं और समय पर सिंचाई नहीं होने से भारी नुकसान की आशंका है। उनका कहना है कि विवाद की सजा पूरे क्षेत्र के किसानों को दी जा रही है,

जबकि अधिकांश किसानों का उस घटना से कोई लेना-देना नहीं था। किसानों ने प्रशासन से मांग की कि व्यक्तिगत विवाद के कारण सामूहिक रूप से पानी बंद करना उचित नहीं है।

ज्ञापन में किसानों ने उल्लेख किया कि टेल क्षेत्र तक पहले ही पानी कम मात्रा में पहुंचता है, ऐसे में पूरी तरह पानी बंद होने से हालात और भी खराब हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

वहीं एसडीएम केवलारी ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र ही नहर में पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है साथ ही किसानों से सिंचाई कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की है।

अब किसानों की नजर प्रशासनिक निर्णय पर टिकी हुई है, जिससे उनकी फसलों को समय रहते पानी मिल सके और संभावित नुकसान से बचाया जा सके।

व्यस्क तेंदुए के कुएं में गिरने से मची हलचल

उगली नवभारत। सिवनी जिले के अंतर्गत वन परिक्षेत्र सामान्य केवलारी के अंतर्गत उगली और केवलारी के मध्य सघन वन आबादी वाले क्षेत्र राजस्व ग्राम बोरगोंदी ग्राम पंचायत के अंतर्गत वन विभाग के विश्रामगृह के निकट एक किसान फगलाल भोरगोंदी निवासी के कुएं में वन्य जीव प्राणी तेंदुआ 6लेपर्ड8 भोजन की तलाश में जंगल के निकट कुएं में बीती रात गिर गया था जिसकी सूचना गस्त करते समय वन विभाग के कर्मचारी को किसान द्वारा दी जाकर चार पाई मे रस्सी बांधकर झूला बनाकर लगभग 10 बजे सफल रेस्क्यू किया गया, उगली पुलिस और वन विभाग टीम के द्वारा सुरक्षात्मक रुप से हिंसक प्राणी को बडे ही सावधानी पूर्वक सुरक्षा के साथ बिना किसी प्रकार की अनहोनी के तेंदुआ को जंगल की ओर जाने दिया। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार किसान का खेत जो जंगल के निकट है, किसान अपनी सुरक्षा के

लिये दो पालतू कुत्ते पाला था, यह तेंदुऐं नर मादा दो थे, जिसमें एक ने एक कुत्ते का शिकार कर जंगल की ओर भाग गया, जबकी दूसरा भी कुत्ते को अपना शिकार बनाता जब तक किसान जो अपने टपरे पर था, उसे आहट हुई, जिसके कारण किसान द्वारा हल्ला करने पर एक तेंदुआ कुऐं में जा गिरा. फिलहाल यह सघन वन क्षेत्र कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कॉरिडोर वाला हिस्सा है। उगली केवलारी मार्ग उगली पां. छपारा से बरघाट मार्ग और उगली से निकट बालाघाट के मध्य चारों ओर घना जंगल होने के कारण वन्य प्राणियों की आवाजाही और मूवमेंट लगातार देखा जाता है।

इस दृष्टिकोण से वन विभाग की टीम ने वन विभाग के द्वारा क्षेत्र के लोगों को जागरुक करते हुए सख्त हिदायत दी है कि वन्य प्राणियों से सावधानी बरतने हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी गौरव वानखेड़े केवलारी ने कहा कि हमारे द्वारा वन विभाग की टीम के साथ सफल रेस्क्यू किया गया, हमारे कर्मचारी नियमित गश्त करते हैं, और तेंदुए का रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित जंगल की ओर भगा दिया गया।

प्रतियोगिता | बिलासपुर अकादमी ने शुरुआत से ही दिखाया आक्रामक खेल, भोपाल ने संयमित खेल का प्रदर्शन कर फाइनल में बनाई जगह

भोपाल और बिलासपुर के बीच होगा आज फाइनल मुकाबला

आज का मुकाबला होगा रोमांचक

अब टूर्नामेंट का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला बिलासपुर अकादमी और भोपाल के बीच खेला जाएगा। आक्रामक बिलासपुर और रणनीतिक भोपाल — दोनों टीमों की शैली अलग है, ऐसे में मुकाबला बेहद रोमांचक होने की संभावना है। फाइनल मैच एवं भव्य समापन समारोह 13 तारीख को दोपहर 3ः00 बजे आयोजित होगा। आयोजन समिति ने सभी हॉकी प्रेमी दर्शकों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।

सिवनी नवभारत। अशोक एंड अशोक ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबलों ने खेल प्रेमियों के उत्साह को चरम पर पहुँचा दिया। मैदान पर जहां गोलों की झड़ी लगी, वहीं रणनीति और संयम का शानदार प्रदर्शन भी देखने को मिला। अब सभी की निगाहें फाइनल मुकाबले पर टिक गई हैं।

पहले सेमीफाइनल में गुजरात और बिलासपुर अकादमी (खेलो इंडिया) के बीच खेले गए मुकाबले में बिलासपुर टीम ने एकतरफा दबदबा बनाया। ओलंपियन कोच लाखरा जी के मार्गदर्शन में खेल रही बिलासपुर अकादमी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। पहले हाफ में तीन गोल दागकर बढ़त बनाई और दूसरे हाफ में छह और गोल करते हुए कुल नौ गोल के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। गुजरात टीम पूरे मैच में वापसी का अवसर तलाशती रही, लेकिन बिलासपुर की मजबूत आक्रमण पंक्ति के सामने टिक नहीं सकी। दूसरे सेमीफाइनल में भोपाल और मुंबई के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। भोपाल टीम ने पहले हाफ में दो गोल की बढ़त हासिल कर मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। दूसरे हाफ में मुंबई ने कई प्रयास किए, परंतु गोल करने में असफल रही। अंततः भोपाल ने संयमित खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

सेमीफाइनल मैच के दौरान सिवनी की जिला कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि हॉकी देश का गौरवशाली खेल है और इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने आयोजन समिति की प्रशंसा करते हुए भविष्य में जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। मैदान में

दर्शकों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। सिवनी जिले के सभी पत्रकार साथी भी उपस्थित रहे और मुकाबलों को व्यापक कवरेज प्रदान किया।

भुमिका वेयर हाउस, खमरिया में आदान विक्रेता संघ का गठन

घंसौर नवभारत। भुमिका वेयर हाउस, खमरिया में दिनांक 12 फरवरी 2026 को घंसौर तहसील के आदान विक्रेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र के बड़ी संख्या में व्यापारी एवं विक्रेता उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आदान विक्रेता संघ के गठन को लेकर विस्तृत चर्चा करना था। लंबी विचार-विमर्श एवं सर्वसम्मति के पश्चात घंसौर तहसील आदान विक्रेता संघ का विधिवत गठन किया गया। उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनीश खान कहानी को संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया। इसके साथ ही कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। गठित कार्यकारिणी इस प्रकार है अध्यक्ष अनीश खान कहानी, उपाध्यक्ष धनंजय मिश्रा (घंसौर), सुखवंत गोल्हानी कहानी, कोषाध्यक्ष रामगोपाल शिवहरे (खमरिया), सचिव राजेश शिवहरे (घंसौर), सहसचिव जितेंद्र नेमा (घंसौर), शेषाध्यक्ष ओमप्रकाश शिवहरे मेहता, कार्य

सदस्य सुदीप शिवहरे (घंसौर), महेश राजपूत (भिलाई), देवेंद्र शिवहरे (मेहता), अमित पटेल (कहानी), आदित्य गोल्हानी (घंसौर), कन्हैया लाल बोहरे (घंसौर), संजू सोनी (गोरखपुर), रितेश गोल्हानी (कहानी), अमन सोनी (केदारपुर), नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनीश खान कहानी ने अपने संबोधन में कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य आदान विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान, व्यापारिक हितों की रक्षा तथा प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने एकजुटता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। अंत में सभी ने संघ की मजबूती और क्षेत्र के व्यापारिक विकास हेतु मिलकर कार्य करने का आश्वासन दिया। यह आयोजन घंसौर क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।